केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. **CICOM/R/2019/00299** दिनांक 10.04.2019

सेवा में,

श्री किशन चन्द,

SCANNED
RTI CELL

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 27.03.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 03.04.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि आपने अपने उक्त आवेदन के माध्यम से अपने दिनांक 25.03.2019 के पत्र में चार बिंदुओं पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी है, जबकि आपके आवेदन के साथ जो पत्र संलग्न है वह दिनांक 26.03.2019 का है ।

प्रसंगवश उल्लेख किया जाता है कि आपके दिनांक 26.03.2019 का पत्र, जिसकी प्रति जो इस आवेदन के साथ संलग्न है, उक्त पत्र के साथ कोई आर.टी.आई. आवेदन शुल्क संलग्न नहीं था, एवं आपके दिनांक 26.03.2019 के उक्त पत्र का प्रतिउत्तर (डायरी सं.10793/29.03.2019/आर.टी.आई. प्रकोष्ठ दिनांक 09.04.2019) आपको प्रेषित किया जा चुका है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ पुन: संलग्न है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

10/4/19

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690